

भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य के भुगतान संबंधी वचन बद्धता
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि 27.23 हेक्टेयर पर गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जो भी शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present value) की धनराशि निर्धारित की जायेगी इसका भुगतान याचक विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ से पूर्व किया जायेगा, जमा की गयी धनराशि का शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में यदि भविष्य में बढ़ोत्तरी होती है तो उक्त बढ़ी हुई दरों की धनराशि याचक विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

दिनांक 20-07-2016
स्थान - विजनौर


प्रशासकीय निदेशक
सांख्यिक वानिकी प्रभाग
विजनौर


सहायक अभियन्ता
राष्ट्रीय खण्ड लो. नि. वि.
विजनौर


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो. नि. वि.
विजनौर